अनुसूची 14– फारम सं. 612

(3)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.....45 / 16–17.....

केश का प्रकार ...श्री रंजीत कुमार झा, निलंबित लिपिक, अंचल कार्यालय, झंझारपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
31/5/17	जिला पदाधिकारी मधुबनी का आदेश। ज्ञापांक–384 / जि0स्था0दिनांक–17.03.2017 द्वारा श्री रंजीत कुमार झा, लिपिक, अंचल कार्यालय, झंझारपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अपर समाहर्ता मधुबनी को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, झंझारपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपी कर्मी को सूना गया। स्थिति निम्नवत् है:– **आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोपः–** **आरोप संख्या–01:–कार्यालय का उपस्थिति पंजी अपने आलमीरा में बन्द कर रखना एवं विलम्ब से कार्यालय आनाः–** श्री रंजीत कुमार झा, प्रभारी प्रधान सहायक अंचल कार्यालय, झंझारपुर द्वारा अपने मनमानी तरीके से कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित न होकर प्रतिदिन कार्यालय अवधि समाप्ति के उपरांत आना। अंचल अधिकारी, झंझारपुर के ज्ञापांक 162 दिनांक 10.02.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण संबंधी पत्र पढ़कर प्राप्त नहीं किया जाना। दिनांक 13.02.2017 को काफी विलम्ब से कार्यालय आए। इस बीच अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के निदेशानुसार श्री ददन सिंह, पु0अ0नि0झंझारपुर थाना द्वारा करीब 11:45 बजे वर्णित वस्तु–स्थिति के सत्यापन हेतु अंचल कार्यालय आए उस वक्त आपके कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण उपस्थित कर्मियों का नाम लेख कर उपस्थित पंजी के बारे में जानकारी ली गयी। उपस्थित कर्मियों के द्वारा बताया गया कि उपस्थिति पंजी श्री झा प्रभारी प्रधान लिपिक के आलमीरा में बंद है। फलतः उपस्थित कर्मी ससमय उपस्थिति दर्ज करने से वंचित रहे। **आरोप संख्या–01 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण :–** आरोप भ्रामक एवं तथ्यहीन है। कार्यालय की उपस्थिति पंजी के अनुसार जनवरी 17 एवं फरवरी 18.2.17 तक उनके एवं सभी कर्मी के द्वारा उस्थित दर्ज है। अंचल अधिकारी के द्वारा हाजरी बही का कभी कोई निरीक्षण नहीं किया गया है न कोई टिप्पणी दी गयी है। उनके द्वारा पदस्थापन तिथि सितम्बर 15 से जनवरी 17 तक वेतन का उठाव किया गया है। अगर वे विलम्ब से आते तो स्पष्टीकरण पूछा जाता जो नहीं पूछा गया एक स्पष्टीकरण जो प्रपत्र–क के साथ संलग्न है, झूठा है जिसमें चौकीदार के द्वारा लिख गया कि इन्होंने लेने से इनकार किया जबकि मुझे वह पत्र दिया ही नहीं गया। ज्ञापांक–155 दिनांक–10.02.2017 का पत्र मुझे दिया गया, इससे स्पष्ट है कि लगाया गया आरोप झूठा व मनगढ़ंत है। **आरोप संख्या–01 पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–** श्री झा कार्यालय की उपस्थिति पंजी आलमीरा में बंद कर चले जाते थे तथा विलम्ब से कार्यालय आकर उपस्थिति पंजी पर पहले अपना उपस्थिति दर्ज कर अन्य कर्मियों को उपस्थिति दर्ज करने हेतु पंजी उपलब्ध कराते थे, तभी अन्य कर्मी अपना उपस्थिति दर्ज करते थे। फलतः ज्ञापांक–162 दिनांक 10.02.2017 से श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी जिस पर को श्री झा ने लेने से इनकार कर दिया था। कार्यालय में विलम्ब से आना तथा	

उपस्थिति पंजी आलमीरा में बंद रखने के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के निदेशानुसार दिनांक 13.02.2017 को श्री ददन सिंह, पु0अ0नि0झंझारपुर थाना द्वारा वर्णित जॉच की सत्यापन हेतु कार्यालय आये थे उस वक्त तक श्री झा कार्यालय से अनुपस्थित थे जिसकी पुष्टि पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा। इस प्रकार आरोप संख्या–01 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्य से परे है।

आरोप संख्या–1 पर संचालन पदाधिकारी का अधिगम/मंतव्यः–

–आरोपी कर्मी द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति पंजी की छाया प्रति के अनुसार उपस्थिति दर्ज है इसलिए आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–02ः–राज्य सूचना आयोग से संबंधित अभिलेख ससमय उपलब्ध नहीं कराना:–

श्री संजय कुमार महतो पिता श्री कुशेश्वर महतो सा0अररिया सग्राम के बंदोवस्ती से संबंधित अभिलेख पर दिनांक 28.02.2017 को राज्य सूचना आयोग बिहार पटना के कार्यालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित है। उक्त अभिलेख आपके जिम्मे अद्यतन रखा हुआ है। आपके द्वारा प्रश्नगत संचिका व अभिलेख ससमय उपस्थापित नहीं किया गया जबकि मामला सूचना आयोग से संबंधित है। इस क्रम में कार्यालय के ज्ञापांक–111 दिनांक–03.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई परंतु आपके द्वारा न तो तत्संबंधी अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया और न ही आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब ही दिया गया। आपका यह कृत नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्यो के निष्पादन में रूचि नहीं लेने तथा मनमाने ढ़ंग से कार्य करने का का है जो बिहार सरकारी आचार नियमावली 1978 की धारा–3 का उल्लंघन है।

आरोप संख्या–02ः–पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः

यह संचिका उन्हें कभी भी प्रभार में प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी सूचना उन्होंने अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 111 दिनांक 03.02.2017 को पूछे गए स्पष्टीकरण के जवाब में समर्पित कर दिया था। उन्होंने जिला स्थापना उप समाहर्ता को भी एक स्पष्टीकरण के जवाब में सूचना दी थी पदस्थापन के एक वर्ष के बाद भी उन्हें आवंटित संचिका का प्रभार 01.09.2016 तक प्राप्त नहीं हुआ जो जिस पर अंचल अधिकारी झंझारपुर का मंतव्य द्रष्टव्य है। अगर उन्हें यह संचिका प्रभार में मिला है तो अंचल अधिकारी झंझारपुर से प्रभार सूची का कांपी की मांग की जाय एवं वर्तमान प्रभार समर्पित किये हैं उसमें भी यह संचिका नहीं दिया गया है। लगाया गया आरोप चलने लायक नहीं है।

आरोप संख्या–02 पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

इस बिन्दु पर श्री झा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण मूल तथ्य से भिन्न है। राज्य सूचना आयोग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित मूल तथ्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर भ्रमित करने का प्रयास किया गया। ज्ञापांक–111 दिनांक 03.02.2017 से पूछा गया स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया किन्तु अपने साक्ष्य में उसे लगाया है जिस पर प्राप्तिकर्ता का जाली हस्ताक्षर कर यह प्रमाणित करने का असफल प्रयास किया गया है कि उन्होंने स्पष्टीकरण समर्पित कर दिया। इस प्रकार जाली हस्ताक्षर कर घोर अनियमितता की गयी है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–264 दिनांक–07.04.2016 से कार्य आवंटन में जमीन बंदोवस्ती कार्य श्री झ को आवंटित किया गया था निलंबन से पूर्व तक वर्णित संचिका प्रभार श्री झा के पास था। अगर उनके प्रभार में उक्त संचिका/अभिलेख नहीं था तो इसकी लिखित सूचना अपने पदाधिकारी को देनी चाहिए जो नहीं किया गया । आरोप संख्या–02 पर इनका स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है।

आरोप संख्या–2 पर संचालन पदाधिकारी का अधिगम/मंतव्यः–

इस बिन्दु पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण "अगर उन्हें यह संचिका प्रभार में मिला है तो अंचल अधिकारी झंझारपुर से प्रभार सूची का कांपी की मांग की जाय एवं वर्तमान प्रभार समर्पित किये हैं उसमें भी यह संचिका नहीं

दिया गया है।" पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य स्पष्ट नहीं रहने के कारण आरोप संख्या–2 प्रमाणित नही पाया गया।

<u>आरोप संख्या–3:– अंचल के रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना:–</u>

श्री रंजीत कुमार झा, अंचल कार्यालय, झंझारपुर के प्रभारी प्रधान सहायक के प्रभारी हैं। आपके द्वारा अंचल नजारत का रोकड़ बही पर हस्ताक्षर किया जाना है। परन्तु बार–बार कहे जाने के बाद भी आपके द्वारा अंचल नजारत का रोकड़ बही पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। आपके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के ज्ञापांक–750 दिनांक 21.09.16 पत्रांक–948 दिनांक–01.12.2016 तथा पत्रांक–155 दिनांक–10.02.2017 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई परंतु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध कराया गया जो संतोषप्रद नहीं पाया गया परिणामस्वरूप अंचल नजारत का रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर अद्यतन लंबित है।

<u>आरोप संख्या–03:–पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण:</u>

अंचल का रोकड़ पंजी अंचल नाजीर के द्वारा संधारित ही नहीं किया जाता था यह संधारण दिनांक 16.02.2017 को डी0सी0एल0आर0झंझारपुर के निरीक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर फरवरी 17 में प्रथम सप्ताह में लिखा गया एवं उनके समक्ष 08.02.2017 को उपस्थापित किया गया जिसमें कुछ सहायक रोकड़ पंजी था जिसमें मेरे द्वारा जॉच के उपरान्त अगस्त 16 तक हस्ताक्षर भी किया गया। मुख्य रोकड़ पंजी की मांग करने पर आना कानी की गयी एवं दिनांक 10.02.2017 को दिखाया गया जिसमें हुदहुद तुफान 14 में आवंटित राशि जो इस अंचल को वर्ष 16 में प्राप्त हुयी थी जिसको राजस्व कर्मचारी नाजीर, के द्वारा बंदर बांट कर लिया गया था एवं बिना लेखापाल की जांच कराये उसको मुख्य रोकड़ पर पोस्टींग कर दिया गया था जो कि गबन का मामला बनता है। यह राशि लौटानी थी मैंने अंचल अधिकारी को उसकी सूचना दी परन्तु कुछ जवाब नही दिये मैंने सिर्फ सूचना दी कि डी0सी0एल0आर0झंझारपुर के द्वारा निरीक्षण के पश्चात् जो दिशा निर्देश मिलेगा अग्रसर कार्रवाई करूँगा। डी0सी0एल0आर0झंझारपुर को इससे पुर्व जनवरी 16 से अक्टुबर 16 तक नाजीर के द्वारा सामान्य व सहायक रोकड़ बही नहीं लिखने की सूचना दी थी। उनके द्वारा कभी भी हस्ताक्षर का बहाना नहीं बनाया गया। उन्हें फंसाने के उद्देश्य से ज्ञापांक 750 दिनांक 21.09.2016 एवं ज्ञापांक 948 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा पूछा गया स्पष्टीकरण उन्हें प्राप्त ही नहीं कराया गया। ज्ञापांक 155 दिनांक 10.02.2017 को पुछे गये स्पष्टीकरण में पूर्व के पत्रों का उल्लेख भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि लगाया गया आरोप भ्रामक व तथ्यहीन है खारिज करने की कृपा की जाय एवं आरोप से मुक्त कर विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाय। अपने कथन के समर्थन में आरोपी कर्मी ने निम्नांकित साक्ष्यों की छाया प्रति स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया है:–

1– उपस्थिति पंजी की छाया प्रति–03 पन्ने।
2– अंचल अधिकारी को सम्बोधित स्पष्टीकरण दिनांक 27.4.17 ...एक पन्ना।
3– अंचल अधिकारी को सम्बोधित दिनांक 03.02.17 का आवेदन–एक पन्ना।
4– प्रभार सूची.....दो पन्ने।
5–भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर का पत्रांक–608 दिनांक–20.10.16
अनुलग्नक आवेदन की छाया प्रति.....कुल दो पन्ने।
6– स्थापना उप समाहर्ता को रंजीत कुमार झा द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण–एक पन्ना।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, झंझारपुर के पत्रांक–474 दिनांक 09.05.2017 से प्रेषित मंतव्य:–

<u>आरोप संख्या–03 पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य:–</u>

श्री इन्द्र कुमार भंडारी लिपिक–सह–नाजिर द्वारा दिनांक 19.09.2016 को लिखित आवेदन दिया गया था कि सामान्य रोकड़ पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी अद्यतन है। प्रभारी प्रधान लिपिक श्री झा से बार–बार जॉच का अनुरोध किया गया लेकिन टाल मटोल करते रहे अंततः स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उनका जवाब असंतोषप्रद रहा।

हुदहुद तुफान से क्षतिग्रस्त लाभूकों को नियमानुसार मुआवजा का भुगतान राजस्व कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि के पहचान पर किया गया है इस बिन्दु पर श्री झा का स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है।

श्री झा का स्पष्टीकरण बिल्कुल ही सत्य से परे है। अबतक संपूर्ण प्रभार बार–बार आदेश के बावजूद नहीं सौंपा गया है। आवश्यक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी ने स्पष्टीकरण के साथ निम्नांकित साक्ष्य की छाया प्रति प्रस्तुत किया है:–

1– ज्ञापांक 162 दिनांक–10.02.17 की छाया प्रति............ .एक पन्ना।
2– पुलिस प्रतिवेदन की छाया प्रति..एक पन्ना।
3– ज्ञापांक–111 दिनांक–03.02.17 की छाया प्रति.............एक पन्ना।
4– पत्रांक–1/गो.दिनांक–08.02.17 की छाया प्रति............एक पन्ना।
5– श्री रंजीत कुमार झा का स्पष्टीकरण की छाया प्रति....एक पन्ना।
6– अंचल अधिकारी का ज्ञापांक–264 दिनांक 7.4.16 ....एक पन्ना।
7– ज्ञापांक–750 दिनांक 21.09.16 की छाया प्रति...............एक पन्ना।
8– ज्ञापांक–948 दिनांक–1.12.16 की छाया प्रति................एक पन्ना।
9– ज्ञापांक–155 दिनांक–10.2.17 की छाया प्रति..................एक पन्ना।
10–श्री झा का 3.2.17 का स्पष्टीकरण की छाया प्रति..........एक पन्ना।

आरोप संख्या–3 पर संचालन पदाधिकारी का अधिगम/मंतव्यः–

उपस्थापन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में लिखा है कि इस बिन्दु पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है किन्तु यह लेखा से संबंधित मामला है। इस बिन्दु पर जिला अथवा अनुमण्डल स्तरीय लेखा दल से झंझारपुर अंचल के रोकड़ की जॉचोपरांत दोषी के विरूद्ध आरोप गठित करना उचित होगा।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी,झंझारपुर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी का आपत्ति आवेदन में लिखी गयी बातों का मुख्य अंशः–

1– पुलिस पदाधिकारी के निरीक्षण हेतु कार्यालय पहुँचने पर वे कार्यालय में मौजूद थे। सभी कर्मियों के द्वारा उपस्थिति 13.2.17 की बनी हुयी है, आरोप भ्रामक है।

2– बंदोवस्ती अभिलेख उनके प्रभार में नहीं था आरोप जबरण उनपर मढ़ा जा रहा है, आरोप भ्रामक एवं सत्य से परे है।

3– भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर का दिनांक 16.2.17 को निरीक्षण का कार्यक्रम बनने के बाद लगभग ग्यारह माह के बाद रोकड़ बही आनन फानन में उनके समक्ष हस्ताक्षर हेतु नाजिर ने प्रस्तुत किया। जिसमें खामियों का उजागर करने पर अंचल अधिकारी ने उसे अनसूनी की जिसकी सूचना भूमि सुधार उप समाहर्ता झंझारपुर को उनके द्वारा दी गयी। लिखित सूचना दी गयी कि वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण व दिशा–निर्देश के बाद मुख्य रोकड़ बही पर हस्ताक्षर कर दूँगा। इसी के रोष में उन्हें फंसाने की साजिश की गयी तथा चौकीदार से गलत लिखवाया गया कि पत्र लेने से इनकार किया। लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध आरोपी कर्मी द्वारा किया गया।

निष्कर्षः–

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, झंझारपुर का मंतव्य, आरोपी कर्मी का आपत्ति आवेदन का अवलोकन एवं परिसिलन से आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप संख्या–01 एवं 02 प्रमाणित नहीं हो पाया। आरोप संख्या–03 लेखा की जॉच से संबंधित है, जो जॉच के फलाफल पर निर्भर होगा संचालन के कम में आरोप संख्या–03 भी प्रमाणित नहीं पाया गया। अधिगम/जॉच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख स्थापना को भेजें।

लेखापित

अपर समाहर्ता–सह–
30/6/17

अपर समाहर्ता–सह–
संचालन पदाधिकारी